भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2742
दिनांक 17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवश्यक चिकित्सा उपकरणों में उच्च व्यापार मार्जिन का मुद्दा

2742. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोरोनरी स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों में उच्च व्यापार मार्जिन के मुद्दे की जांच की है, जिसके कारण मरीजों के उपचार संबंधी लागत बढ़ जाती है;
(ख) राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की अधिक कीमत को रोकने और उनकी वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए किए गए नियामक उपाय क्या-क्या हैं;
(ग) क्या सरकार शल्य प्रक्रियाओं में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के लिए "एक राष्ट्र, एक मूल्य" ढांचा या राष्ट्रव्यापी मूल्य सीमा पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (एनएलईएम), जिसे औषध विभाग ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-1 में शामिल किया है, में शामिल फॉर्मूलेशनों और चिकित्सा उपकरणों की अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करता है। कोरोनरी स्टेंट [बेयर मेटल स्टेंट (बीएमएस) और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट (डीईएस)] डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-1 में शामिल हैं और तदनुसार एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इनकी अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करता है। बीएमएस की वर्तमान अधिकतम मूल्य सीमा ₹10,692.69 और डीईएस की ₹38,933.14 है। डीपीसीओ, 2013 के तहत निर्धारित मूल्य पूरे देश में लागू हैं। स्टेंट के सभी विनिर्माताओं, विपणनकर्ताओं और आयातकों को अपने उत्पादों की बिक्री इस अधिकतम मूल्य सीमा (प्लस लागू वस्तु एवं सेवा कर) के भीतर करनी अनिवार्य है। इसके अलावा, एनपीपीए ने दिनांक 12.02.2018 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों जैसे संस्थानों, जो कोरोनरी स्टेंट का उपयोग करके एंजियोप्लास्टी प्रक्रियाएं करते हैं और मरीजों को सीधे बिल जारी करते हैं, को उक्त अधिसूचना में निर्धारित अधिकतम मूल्य का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, उक्त अधिसूचना में इन संस्थानों को अपने अनुमान/प्रोफॉर्मा इनवॉइस/अंतिम बिल आदि में कोरोनरी स्टेंट की लागत, उसकी श्रेणी जैसे बेयर-मेटल स्टेंट (बीएमएस) या ड्रग-एल्यूटिंग स्टेंट (डीईएस), ब्रांड नाम, विनिर्माता/आयातकर्ता का

नाम/बैच नंबर/विनिर्देश और अन्य विवरण स्पष्ट और पृथक रूप से उल्लेख करने का भी निर्देश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने जनहित में अगस्त 2017 में घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए ऑर्थोपेडिक घुटने के प्रत्यारोपण की अधिकतम मूल्य सीमा को निर्धारित और अधिसूचित किया था, जिसे 15 नवंबर, 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान, एनपीपीए ने जनहित में, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ, 2013) के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार "व्यापार मार्जिन युक्तिकरण" के तहत कुछ आवश्यक चिकित्सा उपकरणों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, रक्तचाप मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर पर व्यापार मार्जिन को सीमित कर दिया।

गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों/चिकित्सा उपकरणों के मामले में, विनिर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे फॉर्मूलेशनों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में पिछले 12 महीनों के दौरान व्याप्त एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि न करें। एनपीपीए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों/चिकित्सा उपकरणों दोनों के मूल्यों की निगरानी करता है और किसी भी स्रोत, जिनमें राज्यों (महाराष्ट्र सहित) में स्थापित मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयां, राज्य औषधि नियंत्रक, खुले बाजार से खरीदे गए नमूने, बाजार डेटाबेस की रिपोर्ट और शिकायत निवारण चैनलों के माध्यम से दर्ज शिकायतें शामिल हैं, से अधिप्रभारन के संबंध में प्राप्त किए गए संदर्भों के आधार पर डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं से अधिप्रभारन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है।

(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विभाग के विचाराधीन नहीं है।
